



Ref. No. 126

Date 21/02/2023

कार्यालय आदेश

दिनांक-08.02.2023 को "जिलाधिकारी कार्यालय" में कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय की Anti-Ragging Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में महाविद्यालय की Disciplinary Committee द्वारा जाँच की गई। जाँचोपरान्त दिनांक-15.02.2023 को Disciplinary Committee की बैठक में निम्नलिखित दोषी छात्राओं द्वारा मार-पीट एवं अनुशासनहीनता के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुशासनिक दंड "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" द्वारा जारी Disciplinary Rules (Memo No.-Vi Pra(II)-Baithak-15/2010-2634 Patna/Dated-27-10-2011) की कंडिकाओं के तहत दिया जाता है।

Sl. No.	Student Name and Reg. No.	Disciplinary Rules	Punishment
1	GEETA KUMARI, (Reg. No.-20110129001)	3 (IV), (IX), (XII)	Two black dots ** with Rs. 10,000/- Fine
2	SHIWANI SINGH, (Reg. No.-21110129040)	3 (IX), (XII)	Rs. 5,000/- Fine

उपरोक्त दोषी छात्राओं को निदेश है कि दिनांक-15.03.2022 तक उक्त Fine की राशि महाविद्यालय के "SBI Collect" खाता में Online जमा कर इसकी प्रति(Receipt) Academic Department में Verification हेतु जमा करें।

ह0/-
प्राचार्या,
के0ई0सी0, कटिहार।

ज्ञापांक- 126 दिनांक- 21/02/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित-

1. कुलपति/निबंधक A.K.U, Patna
2. निदेशक, वि0 एवं प्रा0 विभाग, बिहार सरकार, पटना,
3. जिला पदाधिकारी, कटिहार,
4. पुलिस अधिक्षक, कटिहार,
5. परीक्षा नियंत्रक, के0ई0सी0, कटिहार,
6. एकेडमिक इन्चार्ज, के0ई0सी0, कटिहार,
7. बर्सर, के0ई0सी0, कटिहार,
8. प्रधान लिपिक, के0ई0सी0, कटिहार,
9. सभी संबंधित छात्रा, के0ई0सी0, कटिहार,
10. सभी सदस्य, अनुशासनिक समिति, के0ई0सी0, कटिहार,
11. सूचना पट्ट, के0ई0सी0, कटिहार,
12. वेबसाइट इन्चार्ज, के0ई0सी0, कटिहार।

Ranjana
21/02/23
प्राचार्या,
के0ई0सी0, कटिहार।